आरक्षित

# उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका संख्या 2360 (M/S) /2015

सुनील सैनी और एक अन्य .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित :- श्री परीक्षित सैनी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री वी. डी. बिसेन, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए संक्षिप्त धारक।

**माननीय आलोक सिंह, न्यायमूर्ति**

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं की मांग करते हैं :

(i) याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर पारित आदेश दिनांकित 18.02.2015 जहां जाति प्रमाण पत्र से इनकार किया गया है, को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें (रिट याचिका के अनुलग्नक-7 में निहित)।

(ii) उत्तराखण्ड राज्य के वास्तविक निवासी याचिकाकर्ताओं को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को आज्ञा देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं के पिता वर्ष 1984 में जनपद हरिद्वार में निवास करने लगे, किराए के मकान में रहने लगे और कोणार्क ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। याचिकाकर्ताओं के पिता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले थे और उन्होंने वर्ष 1992 में हरिद्वार में एक आवासीय भूखंड खरीदा और वहां एक घर बनाया।याचिकाकर्ताओं के पिता (अर्थात महिपाल सिंह) को 25.01.1998 को ओबीसी प्रमाण पत्र (याचिका के साथ अनुलग्नक-2) और 18.04.2009 को एक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-4) जारी किया गया था । दिनांक 13.12.2011 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। छात्रवृत्ति लेने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता नं. 2 को 28.10.2005 को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया (याचिका के साथ अनुलग्नक-5)। याचिकाकर्ताओं के पिता को भी 15 अप्रैल, 2005 को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

3) याचिकाकर्ताओं ने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन 18 फरवरी, 2015 को इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पिता ने एक आवासीय भूखंड खरीदा और वर्ष 1992 में उक्त भूखंड पर एक मकान का निर्माण किया, याचिकाकर्ता उक्त मकान में 1992 से रह रहे हैं; वे जाति सैनी से संबंधित हैं, जिसे उत्तराखंड राज्य में ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया है और याचियों के पिता को ओबीसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था । यह अग्रेतर प्रतिवाद किया गया कि याचिकाकर्ता स्थायी रूप से उत्तराखंड राज्य में तहसील हरिद्वार के मोहल्ला पीठ बाजार के गांव जगजीतपुर में रह रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं उत्तराखंड मे पले बढ़े और उन्होंने

उत्तराखंड राज्य में अध्ययन किया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शासनादेश दिनांकित 02.04.2013 (रिट याचिका के अनुलग्नक-8) के अनुसार, याचिकाकर्ता जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

5) शासनादेश दिनांकित 02.04.2013 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जब उनको 09.11.2000 से उत्तराखंड राज्य में स्थायी रूप से निवास करना पाया जाता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के पिता (अर्थात महिपाल सिंह) को 25 जनवरी, 1998 को ओबीसी प्रमाण पत्र और 18 अप्रैल, 2009 को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। तथ्यों के बावजूद कि 13.12.2011 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे; याचिकाकर्ता संख्या 2 को 28.10.2005 को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किया गया था; और याचिकाकर्ताओं के पिता को फिर से ओबीसी प्रमाण पत्र अप्रैल, 2005 में जारी किया गया, ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता 1985 से उत्तराखंड राज्य में नहीं रह रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग किया गया था और इसके अलावा, याचिका के अनुलग्नक-6 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ओबीसी प्रमाण पत्र 23.01.2015 को जारी किए गए थे। शासनादेश दिनांकित 02.04.2013 के अनुसार याचिकाकर्ता जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और पूर्व में उनके पक्ष में ओबीसी प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। यदि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने गलत जानकारी देकर पहले के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, तो वह जांच करने के बाद ऐसे प्रमाणपत्रों को निरस्त, जब्त या रद्द कर सकता है। वर्तमान मामले में, यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा झूठी सूचना देकर पहले के प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए थे। उस स्थिति में प्रत्यर्थी प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने से मना नहीं कर सकते हैं।

6) उपरोक्त पर्यवेक्षण को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। नतीजतन, रिट याचिका को एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है। दिनांक 18.02.2015 के आक्षेपित आदेश (याचिका के अनुलग्नक-7) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को आज्ञा देने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।

(आलोक सिंह, जे.)

दिनांक 09 अक्टूबर, 2018

रावत